

RAJ BHAVAN, LUCKNOW.

**NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF  
VICE CHANCELLOR FOR DR. A.P.J. ABDUL KALAM  
TECHNICAL UNIVERSITY, LUCKNOW(U.P.)**

Advt. No. E-449 /2026

Dated : January 21, 2026

It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Lucknow (U.P.), established under the Uttar Pradesh Technical University Act, 2000 by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section- 9 of the said Act.

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 03 years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of 68 years whichever is earlier. Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice Chancellor who has not attained the age of 65 years.

As the Vice Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he/she should have highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished person in the field of Technical Education.

The newly appointed Vice Chancellor can take charge through this advertisement only after the tenure of the present Vice Chancellor appointed and working in the University is completed and the said advertised post becomes vacant.

The applicant for the post of Vice-Chancellor send his/her application Online only in prescribed format available on the website "[www.upgovernor.gov.in](http://www.upgovernor.gov.in)" on or before 16 February, 2026 (Monday).

Any application received after the prescribed date shall not be considered.



OSD to Governor,  
IAS(Retd.)  
(Additional Chief Secretary Level),  
Uttar Pradesh.

राज भवन, लखनऊ

डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या-ई-449/2026

दिनांक : जनवरी 21, 2026

डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ(उ०प्र०), जो कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति, उक्त अधिनियम की धारा-9 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंधित पैनल में से कुलपति के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।


कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु 68 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा। कुलपति के पद हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रख्यात शिक्षाविद होने के साथ-साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

विश्वविद्यालय में नियुक्त व कार्यरत वर्तमान कुलपति का कार्यकाल पूर्ण हो जाने एवं उक्त विज्ञापित पद रिक्त होने के पश्चात् ही इस विज्ञापन के माध्यम से नवनियुक्त कुलपति द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 16.02.2026 (सोमवार) तक केवल ऑन लाइन (On Line) प्रेषित कर सकते हैं।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

  
विशेष कार्याधिकारी, श्री राज्यपाल,  
भा.प्र.से.(से.नि.),  
(अपर मुख्य सचिव स्तर),  
उत्तर प्रदेश।